



भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग,  
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्कबोर्ड  
Government of India  
Ministry of Finance, Department of Revenue  
Central Board of Indirect Taxes and Customs



सत्यमेव जयते

आयुक्त का कार्यालय  
केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर, दमण आयुक्तालय  
Office of the Commissioner  
Central G.S.T., Daman Commissionerate  
जी एस टी भवन, आर.सी.पी.कम्पाउंड, वापी-३९६१९१  
G.S.T. Bhavan, RCP Compound, Vapi-396191

[commr-cexdaman@nic.in](mailto:commr-cexdaman@nic.in)

Ph: 0260-2460305

F. No. I/22-14/2017-18-Adm


वापी, दिनांक: 24.06.2022

## परिपत्र

आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत केंद्रीय माल व सेवा कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, दमण, आयुक्तालय दिनांक 27.06.2022 से 01.07.2022 तक पाँच दिवसीय करदाता सहायता शिविर आयोजित करने जा रहा है जिसमें करदाताओं को होने वाली सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। यह शिविर जीएसटी सेवा केंद्र, जीएसटी भवन, वापी एवं भूतल, एच आर हाउस, सिलवासा, स्थित कार्यालय में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान पिछले एक साल में करदाताओं की सुविधाओं के लिए युक्तिकरण एवं विभिन्न पहलों का डिजिटल रूपान्तरण दिखाया जाएगा।

इस सन्दर्भ में केंद्रीय माल व सेवा कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, दमण, आयुक्तालय, के सभी मंडलों को निर्देशित किया जाता है कि करदाताओं की सभी समस्याओं का यथासंभव समाधान/निराकरण किया जाए।

यह भी बताया जाता है कि सभी मण्डल /अनुभागों के मुखिया यह सुनिश्चित करें कि सभी अधिकारी और कर्मचारी कोविड -19 से संबंधित समय समय पर जारी होने वाले सभी दिशा निर्देशों जैसे सामाजिक दूरी, मास्क, सेनिटाइज़र, इत्यादि का पालन करें।

  
(प्रदीप कुमार बोहरा)  
अपर आयुक्त  
सीजीएसटी एवं सीई  
दमन आयुक्तालय

प्रतिलिपि :

1. सभी सहायक आयुक्त, सभी मंडल, केंद्रीय माल व सेवाकर आयुक्तालय दमन, आवश्यक व्यवस्था एवं सूचनार्थ।
2. सभी व्यापार और औद्योगिक संघ, दमन एवं सिलवासा सूचनार्थ।
3. केंद्रीय माल व सेवाकर आयुक्तालय दमन क्षेत्राधिकार, सभी करदाता सूचनार्थ। (सभी मंडलों के माध्यम से)